लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1578

09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीआरईएटी योजना

1578. श्री राहुल सिंह लोधी:

श्री आशीष दुबे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तकनीकी वस्त्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में आकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (जीआरईएटी) योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्टअपों और नवप्रवर्तकों का जबलपुर सहित राज्य-वार ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत चयन के मानदंड क्या हैं और उन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रोटोटाइप विकास और वाणिज्यीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) सफल नवाचारों के मूल्यांकन, प्रगति की निगरानी और विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत "तकनीकी वस्त्र में उभरते इनोवेटर्स के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (ग्रेट) (जीआरईएटी)" दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में युवा इनोवेटर्स, साइंटिस्ट्स/टेक्नोलॉजिस्ट्स और स्टार्टअप वेंचर्स को उनके सुझावों को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी/उत्पादों में बदलने में मदद करके भारत में तकनीकी वस्त्र के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करना है। जीआरईएटी योजना के तहत, प्रत्येक अनुमोदित प्रस्ताव को अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। एनटीटीएम की जीआरईएटी स्कीम के तहत कुल 24 स्टार्ट-अप्स को मंज़ूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 12.16 करोड़ रुपये है,, जिसमें से 10.79 करोड़ रुपये भारत सरकार का हिस्सा है। इन स्टार्ट-अप्स का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग): इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को जीआरईएटी दिशानिर्देशों के पैरा-6 में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार चुना जाता है, जिसका विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 24 अनुमोदित स्टार्ट-अप्स में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें उन्नत कार्यशील वस्त्र जैसे टेम्परेचर-रिस्पॉन्सिव और सेल्फ-सैनिटाइजिंग फैब्रिक, ग्राफीन-आधारित सामग्री वाले स्मार्ट टेक्सटाइल, एनर्जी-हार्वेस्टिंग फैब्रिक, हेल्थकेयर के लिए शेप-मेमोरी वियरेबल्स, ऑटोमोटिव, निर्माण और रक्षा उपयोगों के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंपोजिट शामिल हैं। इनमें सस्टेनेबल, बायो-बेस्ड इनोवेशन जैसे हेम्प- बायोप्लास्टिक कंपोजिट, बायोडिग्रेडेबल टायर यार्न और एल्गी से बने चमड़े के साथ-साथ सर्जिकल सिमुलेटर और एंटीमाइक्रोबायल वस्त्र प्रौद्योगिकी सहित मेडिकल और हेल्थकेयर समाधान भी शामिल हैं।

(घ): अनुमोदित किए गए स्टार्ट-अप की प्रगति का मूल्यांकन करने और जांचने के लिए योजना के तहत एक मूल्यांकन और निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, ताकि संभावित स्टार्ट-अप परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को शामिल किया जा सके और योजना के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

अनुबंध I

एनटीटीएम की जीआरईएटी योजना के तहत स्टार्ट-अप परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	विषय	इन्क्यूबेटर	व्यक्तिगत/स्टार्टअप	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	वार्मिंग और कूलिंग हाई परफॉरमेंस टेक्सटाइल्स	टीबीआईएफ-आईआईटी रोपड़	व्यक्तिगत (टेक्सोएज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड)	पंजाब
2	डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए वस्त्र सामग्री पर आधारित सर्जिकल सिमुलेशन मॉडल	एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली	स्टार्टअप (इनसिपिएंट मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड)	दिल्ली
3	पल्ट्रूज़न कॉर्ड और कंपोजिट का विकास और कमर्शियलाइज़ेशन	एनआईटीआरए	स्टार्टअप (सही फैब प्राइवेट लिमिटेड)	उत्तर प्रदेश
4	हाई-परफॉर्मेंस टायर -यार्न: ग्रीन प्रोसेस से ग्रीन प्रोडक्ट	बीटीआरए	व्यक्तिगत (सेलएक्सएक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)	महाराष्ट्र
5	रेडोम इंटेग्रेटिड आईएफएफ एंटीना	एटीआईआरए	स्टार्टअप (मोमेंटक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)	कर्नाटक
6	डिफेंस और ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में उपयोग के लिए ब्रेडेड कंपोजिट का विकास	एटीआईआरए	व्यक्तिगत (ब्रेड टेक प्राइवेट लिमिटेड)	गुजरात
7	भविष्य के स्मार्ट फैब्रिक: एनर्जी जेनरेशन और सेंसिंग के लिए नैनोफाइबर वाले वस्त्र	डब्ल्यूआरए	स्टार्टअप (नैनोस्पिन टेक्नोलॉजीज एलएलपी)	गुजरात
8	उभरती टेक्नोलॉजी के साथ तकनीकी वस्त्रों की सस्टेनेबल प्रोसेसिंग	एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली	व्यक्तिगत (नव्याथा ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)	महाराष्ट्र
9	नोड लॉक्ड (3डी) थ्री-डायमेंशनल मटीरियल आधारित एडवांस्ड कम्पोजिट का विकास	वीएफएसटीआर टीबीआई परिषद	व्यक्तिगत (टेक्सप्रेफॉर्म कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश
10	लेदर/सिंथेटिक मटीरियल के विकल्प के तौर पर एल्गी-बेस्ड कोटेड टेक्सटाइल	डीकेटीई (बीटीआरए सहायता करेगा)	स्टार्टअप कंपनी (इकोपेल) प्राइवेट लिमिटेड)	महाराष्ट्र
11	नैनोमटेरियल आधारित स्मार्ट टेक्सटाइल का विनिर्माण	एटीआईआरए	स्टार्टअप कंपनी (टेट्रेल इनोवेशंस एलएलपी)	गुजरात
12	अस्पतालों में पहनने के लिए प्राकृतिक एंटी-माइक्रोबायल कोटेड वस्त्र	एसआईटीआरए	डुकिल मेडिकल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, इरोड	तमिलनाडु
13	यूनीक्लेंज का प्रोडक्शन और स्केलअप - एक ज़ीरो वेस्ट, नेक्स्ट जेनरेशन, स्मार्ट, सेल्फ-सैनिटाइजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव मेडिकल अपैरल	एआईसीनिफ्ट-टी	क्रतु साइंटिफिक सॉल्यूशंस, चेन्नई	तमिलनाडु
14	प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी से बहुत अधिक ठंड में सुरक्षा के लिए सिकुड़न-रोधी, डिटर्जेंट से धोने योग्य, कैमोफ़्लाज डाई वाले, फ़ार इंफ्रा-रेड ऊनी वस्त्रों का विकास, जिसमें बेहतर मैकेनिकल, आरामदायक और थर्मल गुण।	एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली	इंडिगोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली

15	हेल्थकेयर और वेलनेस एप्लीकेशन के लिए इंटेलिजेंट वियरेबल्स डिज़ाइन करने के लिए शेप मेमोरी मटीरियल से बुने गए नए ई-टेक्सटाइल	वेंचर सेंटर	एनाटोमेक प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
16	नया कम्पोजिट मटीरियल-बेस्ड स्पेस डिप्लॉयेबल कम्युनिकेशन एंटीना	एटीआईआरए	गुएरिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक
17	जैव-इंजीनियरिंग वाले वस्त्र और सामग्री विनिर्माण	एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली	व्यक्तिगत (चिटेक्स बायोमटेरियल प्राइवेट लिमिटेड)	दिल्ली
18	स्मार्ट टेक्सटाइल वियरेबल इनोवेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट द्वारा मेंटल वेलबीइंग को बढ़ाना	एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली	पीसइनपेसेस प्राइवेट लिमिटेड, ऊटी	तमिलनाडु
19	टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल जेडएलडी प्लांट्स में फ़ाइनल रेसिड्यू से रिसोर्स रिकवरी के लिए पायलट स्केल इनोवेटिव ज़ीरो सॉलिड डिस्चार्ज (जेडएसडी) सिस्टम का डिज़ाइन और विकास (सर्कुलैरिटी और सस्टेनेबिलिटी)	एआईसीनिफ्ट-टी	वाटरमाइट टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तिरुप्पुर	तमिलनाडु
20	फ्लश करने लायक सैनिटरी पैड, पीरियड्स की साफ़-सफ़ाई के लिए एक टिकाऊ और नवीन समाधान के रूप में	एनआईटीआरए	एक्सलीप केयर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	दिल्ली
21	बायोमटेरियल पर आधारित एडवांस्ड मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का विकास	डब्ल्यूआरए	एन्लेज मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
22	स्पाइडर सिल्क टेक्नोलॉजी से हाई-परफॉर्मेंस सस्टेनेबल फाइबर में क्रांति	केआईआईटी-टीबीआई	अरासिल्क प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखंड
23	हाई-एल्टीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर	डब्ल्यूआरए	सियारुतु एंटरप्राइजेज एलएलपी	महाराष्ट्र
24	एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और यूवी-प्रोटेक्टिव पाइनएप्पल फैब्रिक का बेहतर मैकेनिकल और आरामदायक गुण सहित एक सस्टेनेबल और मल्टी-फंक्शनल प्रोटेक्टिव वस्त्र के तौर पर विकास।	एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली	लागू नहीं	दिल्ली

अनुबंध- II

तकनीकी वस्त्र में उभरते इनोवेटर्स के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान(जीआरईएटी) दिशानिर्देशों का सार

पैरा 6: पात्रता मानदंड:

वैयक्तिक आवेदक के लिए:

i. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और आवेदन के दिन उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए (जैसा कि धारा 11 में परिभाषित किया गया है)।

ii. प्राइमरी एप्लीकेंट प्रोजेक्ट लीडर होना चाहिए (धारा 7 के अनुसार) और अनुदान से जुड़े सभी पत्राचार और निर्णय लेने के लिए वही ज़िम्मेदार होगा।

iii. आवेदक को एक इनक्यूबेटर में इनक्यूबेट होना चाहिए। एप्लीकेशन के समय, आवेदक से उम्मीद की जाती है कि उसने एक इनक्यूबेटर की पहचान कर ली हो। अंतिम अनुमोदन के लिए इनक्यूबेटर के साथ एमओयू ज़रूरी है। या फिर, अगर एमओयू साइन नहीं किया गया है, तो एप्लीकेशन जमा करते समय इनक्यूबेटर से एक लेटर ऑफ़ सपोर्ट/रिकमेंडेशन ज़रूरी है।

iv. अगर आवेदक किसी एकेडमिक या अनुसंधान ऑर्गनाइज़ेशन में फॉर्मल नौकरी कर रहा है/जुड़ा हुआ है (या स्टूडेंट/अनुसंधानकर्ता है), तो आवेदक को संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह साफ़ तौर पर लिखा हो कि:

- आवेदक को जीआरईएटी अनुदान हेतु आवेदन करने की अनुमति है और आवेदक के वर्तमान कर्तव्यों/दायित्वों और जीआरईएटी अनुदान योजना के साथ कोई विवाद नहीं है।
- एक व्यक्ति के तौर पर निधि सहायता (अगर सफल हो) स्वीकार कर सकता है।
- भारत सरकार के सेंट्रल नोडल अकाउंट (सीएनए) सिस्टम के तहत वैयक्तिक आधार पर निधि का प्रबंध करेगा।
- एक उद्यम बना सकते हैं ।

v. इसके अलावा, आवेदक को एक आश्वासन देना होगा कि अनुदान अनुमोदित होने पर वह अपने मौजूदा एम्प्लॉयर के साथ अपना काम समाप्त करने और परियोजना को फुल टाइम करने की योजना बना रहा है। अनुदान जारी होने से पहले एक अनुमोदित त्यागपत्र/कार्यमुक्त/सेवा निवृत्ति पत्र आवश्यक होगा।

vi. अनुदान मिलने से पहले व्यक्ति के पास एक रजिस्टर्ड कंपनी/स्टार्ट-अप होना चाहिए।

vii. यदि आवेदक औपचारिक रूप से किसी लाभ वाली स्टार्टअप कंपनी में काम करता है; तो

- आवेदन स्टार्टअप कंपनी के तहत जमा किया जाना चाहिए; या
- अनुदान अनुमोदित होने पर वह अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ अपना काम समाप्त करने और प्रोजेक्ट को फुल टाइम करने का प्लान बना रहा है (अनुदान जारी होने से पहले एक अनुमोदित त्यागपत्र/कार्यमुक्त/सेवा निवृत्ति पत्र आवश्यक होगा)।

viii. जो व्यक्ति तकनीकी वस्त्र स्टार्टअप कंपनी का प्रमोटर/शेयरहोल्डर है, वह स्टार्टअप कंपनी में शेयरहोल्डिंग के परसेंटेज के बावजूद, एक व्यक्ति के तौर पर आवेदन करने के लिए योगय नहीं होगा। ऐसे मामले में, अगर स्टार्टअप कंपनी नीचे दिए गए अपेक्षित योग्यता मानदंड को पूरा करती है, तो आवेदन स्टार्टअप कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्टार्टअप कंपनी के लिए:

i. स्टार्टअप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए, जिसका टर्नओवर पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से कम हो।

ii. स्टार्टअप को वर्तमान उत्पादों, सर्विसेज़ और प्रोसेस में नवाचार/सुधार की दिशा में कार्यरत होना चाहिए और उसमें रोज़गार सृजन करने/पूंजी बनाने की क्षमता होनी चाहिए। किसी मौजूदा बिज़नेस को तोड़कर या फिर से बनाकर बनाई गई एंटिटी को "स्टार्टअप" नहीं माना जाएगा।

iii. कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

iv. जीआरईएटी के लिए आवेदन करते समय कंपनी की निगमित तिथि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v. जीआरईएटी आवेदन के लिए योग्य होने के लिए, पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा भारतीय नागरिक/या भारतीय कंपनियों के पास होना चाहिए, जिनका मालिकाना हक और पूरा नियंत्रण भारतीय नागरिक के पास हो।

vi. स्टार्टअप कंपनी का आवेदन एक प्रोजेक्ट लीडर (धारा 7 के अनुसार) द्वारा प्रस्तुत किय जाना चाहिए।

vii. स्टार्टअप कंपनी के पास परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त और कार्यशील अनुसंधान एवं विकास सुविधा होनी चाहिए, या उन्हें प्रोजेक्ट के लिए किसी इनक्यूबेटर से जुड़ना/इनक्यूबेट करना होगा।

viii. अगर कोई आवेदन स्टार्टअप कंपनी, जिसमें किसी प्रमोटर के पास 20% या उससे ज़्यादा शेयर हैं, किसी दूसरी अयोग्य स्टार्टअप कंपनी का को-प्रमोटर या पार्टनर है, तो वह आवेदक योग्य नहीं होगा।

****